

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग


क्रमांक:-एफ 5(64)/सी.ओ.आई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/ 623

दिनांक:- 03/03/2020

अधिसूचना


जनगणना अधिनियम, 1948 (37/1948) के उपबंधों के अधीन बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में भारत की जनगणना, 2021 के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य दिनांक 16 मई, 2020 से 14 जून, 2020 के मध्य में सम्पन्न करवाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)।
8. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक :- F.No.J-11021/1/2019/Census/59 दिनांक 05.02.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जनगणना-2021 मकानसूचीकरण का कार्य की अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवावे।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक),आई.टी मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अनंद कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आलायें।
सांख्यिकी विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 03, 2020

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- जनगणना अधिनियम, 1948 (37/1948) के उपबंधों के अधीन बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में भारत की जनगणना, 2021 के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य दिनांक 16 मई, 2020 से 14 जून, 2020 के मध्य में सम्पन्न करवाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डी.बी. गुप्ता,
मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।